

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/एच/09/618
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24-2-09

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय:- स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त विद्यालयों में 01 जुलाई, 2009 के पूर्व जिला संवर्गीय पदोन्नति के समस्त पदों को भरे जाने विषयक ।


माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा द्वारा ली जा रही संभागीय समीक्षा बैठकों के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जिला संवर्ग की पदोन्नतियों यथासमय नहीं हो पाने के कारण भारी संख्या में जिला संवर्गीय पदोन्नति के पद रिक्त हैं । अतः निर्देश दिए जाते हैं कि समस्त जिला संवर्गों की पदोन्नतियों यथा समय की जायें तथा 01 जुलाई, 2009 के पूर्व समस्त विद्यालयों में पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों की पूर्ति अनिवार्य रूप से की जाये । इसके लिए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:-

1. स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त विद्यालयों में पदोन्नति के समस्त पदों को भरे जाने संबंधी लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. का आदेश क./समन्वय/सी/34/56 भोपाल, दिनांक 11.06.1998 वर्तमान में अप्रासंगिक हो जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।
2. जिले में की जाने वाली पदोन्नतियों में पदोन्नति उपरांत पदांकन की कार्यवाही काउंसलिंग के माध्यम से की जाये । काउंसलिंग हेतु संस्थाओं के चयन में लोक सेवकों को निम्नानुसार वरीयता दी जायेगी:-

| स.क्र. | काउंसलिंग का क्रम |
|--------|--------------------------------|
| 1. | विकलांग महिला, अनुसूचित जनजाति |
| 2. | विकलांग महिला, अनुसूचित जाति |
| 3. | विकलांग महिला, अनारक्षित |
| 4. | विकलांग पुरुष अनुसूचित जनजाति |
| 5. | विकलांग पुरुष, अनुसूचित जाति |
| 6. | विकलांग पुरुष, अनारक्षित |
| 7. | महिला, अनुसूचित जनजाति |
| 8. | महिला, अनुसूचित जाति |
| 9. | महिला, अनारक्षित |
| 10. | पुरुष, अनुसूचित जनजाति |
| 11. | पुरुष, अनुसूचित जाति |
| 12. | पुरुष, अनारक्षित |

काउन्सिलिंग में अनुपस्थित रहने वाले लोक सेवकों की पदस्थापना जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से काउन्सिलिंग के पश्चात् शेष रिक्त पदों से की जायेगी ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये एवं पदोन्नति से भरे जाने वाले समस्त जिला संवर्गीय पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही समय-सीमा में सुनिश्चित कर ली जाये यदि आपके द्वारा समयावधि में पदोन्नति की कार्यवाही न करने से पद रिक्त रहते हैं तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।



(बी.आर.नायडू)
आयुक्त,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक : 24-2-09

पृष्ठा. क्रमांक/स्था.3/एच/9/619

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्री स्कूल शिक्षा ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।
5. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण शिक्षा संभाग मध्यप्रदेश ।


आयुक्त,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश